

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL
BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 1126 of 2024

Veer Singh & Anr.

Appellants

Versus

Union of India and Ors.

Respondent

I N D E X

S.No.	Particulars	Pages
1.	Reply on behalf of the respondent no.8 District Magistrate	
2.	Annexure R-1 A copy of the letter dated 22.06.2023	
3.	Annexure R-2 A copy of the letter dated 23.11.2023	
4.	Annexure R-3 A copy of the letter dated 16.01.2024	
5.	Annexure R-4 A copy of the letter dated 17.02.2024	
6.	Annexure R-5 A copy of the letter dated 26.02.2024	
7.	Annexure R-6 A copy of the letter dated 03.04.2024	
8.	Annexure R-7 A copy of the order dated 19.06.2024	

9. Annexure R-8
A copy of the conditions
dated 24.04.2024
10. Annexure R-9
A copy of the letter of intent
dated 24.08.2024
11. Annexure R-10
A copy of the report
dated 20.11.2023

Filed by



[MUKESH VERMA]
Advocate for the applicant
Ch. No. 50, Old Block
Supreme Court of India,
New Delhi 110 001
(M) 9810108098
E-mail: mvermadv@gmail.com

New Delhi
Dated: 28.01.2025

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL
BENCH,
NEW DELHI**

Original Application No.1126/2024

Veer Singh & Anr.

...Applicant

Versus


Union of India & Ors.

...Respondents

REPLY ON BEHALF OF RESPONDENT NO.8


DISTRICT MAGISTRATE

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:



1. That the above original application has been filed by the applicant before this Hon'ble Tribunal seeking to pass an order directing closure of all sand mining operations in the district of Jhansi on the Betwa River within the State of Uttar Pradesh; pass an order for framing of strict guidelines to fix accountability of concerned statutory authorities under the laws enunciated in schedule 1 to the National Green Tribunal Act, 2010 in order to safeguard the environment from damage caused by unauthorized mining. The applicant has further prayed to pass order/ direction with respect to the damage accrued to the environment and to provide relief and compensation for restitution of the damaged environment; direct all the respondents to ensure strict compliance of terms and conditions of post environment clearance for sustainable mining and environment protection and lastly it has been prayed that pass such or furthers orders as this Hon'ble Tribunal may deem fit in the facts and circumstances of the case.


That the district magistrate/answering respondent has been impleaded



as respondent NO.8 in the above original application hence the reply to the above Original application on its behalf is submitted as follows:-

REPLY TO THE ORIGINAL APPLICATION

1. That the lease for sand/Morrum situated on the Betwa river bed in land number 321Ga area 10.000 hectares situated in village Salemapur Tehsil-Moth of district-Jhansi was approved/executed in favor of M/s Shubh Construction Prop. Smt Shashi Devi wife of Sri Virendra Kumar R/o 168/19 Nonia Mohal, Katra, District-Banda for a period of 05 years (From dated 16.01.2021 to dated 15.01.2026) after the project proponent obtained Environmental Clearance (EC) dated 06.01.2021 issued by SEIAA,UP and Consent to operate (CTO) on dated 05.02.2024 issued by Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow.
2. That it is relevant to mention here that the tehsil level task force is constituted under the chairmanship of Sub Divisional Magistrate, Tehsil-Moth and the mining lease in question was being inspected from time to time by the said tehsil level task force members and by a team constituted by the Directorate of geology and mining, Lucknow on dated 03.03.2023, 21.11.2023, 05.01.2024, 11.01.2024 and 24.02.2024 in which violation of rules incorporated in the UP Minor Mineral (Concession) Rule, 2021 was found. Thereafter, as per the provisions mentioned in the said rule penalty was imposed over the leaseholder vide letter no. 1831/30MMC/ 2022-23 dated 22.03.2023 amounting of Rs. 5,25,000.00, letter number 1657/30MMC/2023-24 dated: 23.11.2023 amounting of Rs. 6,11,600.00, 1924/30MMC/ 2023-24 dated 16.01.2024 amounting of Rs. 10,00,000.00,



(Handwritten signature)

2059/30MMC/2023-24 dated 17-02-2024 amounting of Rs. 22,23,380.00 and 2083/30MMC/2023-24 dated 26.02.2024 amounting 1,00,000.00 respectively has been imposed. **ANNEXURE R- 1, 2, 3, 4 & 5**(pg. No. to)

3. That the last surprise inspection of the above mentioned area was done on 30.03.2024, in which boundary pillars were not installed on the boundary coordinates in the mining lease area, illegal mining was done by using prohibited machine (Lifter) outside the approved area and 390.00 cubic meters of minor mineral Balu/Morrum was stored, which is provision of Rule-3, 36 (1) and 42H (1) of the Sub Mineral (Remission) Rules-2021, a penalty of Rs. 18.76,000.00 was imposed under these rules. On repeated violation of the conditions mentioned in the lease deed, a show cause notice was issued vide letter No.- 16/30MMC/2023-24 dated: 03.04.2024 as to why the mining lease approved under Rule-61(1) be not cancelled and in which regard submit/present an explanation himself or through your advocate. True copy of show cause notice dated 03.04.2024 sent by answering respondent to the above lessee is annexed herewith and marked as **ANNEXURE R- 6** (Pg. No. to).

4. That due to repeated violation of the conditions prescribed in Rule-3, 36 (1) and 42H (1) of the UP Minor Mineral (Concession) Rules, 2021 and in the lease deed and due to not depositing the prescribed payable installment, DMF and TCS in time and due to non-submission of any clarification/reply for the notice no 16/30MMC/2023-24 dated:

03.04.2024, following orders were passed vide Office order No. 293/30MMC/2024-25 dated 19.06.2024: -



a) The mining lease was cancelled under Rule-61 of the UP Minor Mineral (Concession) Rules, 2021.

b) The lessee (M/s Shubh Construction Prop. Smt. Shashi Devi wife of Shri Virendra Kumar resident-168/19 Nonia Mohal, Katra, District-Banda) was put in the black list for a period of two years under the provisions mentioned in Rule-61 (2).

c) Recovery of the outstanding amount of penalty and installments totaling Rs.1,48,69,052.00 as in the form of arrear of land Revenue.

A true copy of lease cancellation order dated 19.06.2024 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE R-7** (Pg. No. to).

5. That due to the mining lease area in question becoming vacant after cancellation vide Order no- 293/30MMC/2024-25 dated 19.06.2024, the area was advertised under the instructions given in Government Order No. 781/86-2020-14 (S)/ 2020 Geology and Mining Department, Government of Uttar Pradesh, Lucknow dated: 23.05.2020, by letter No.:- 402/30 MMC/E-Tender/Sand/Moram/2024-25 Dated: 24/07/2024 for a short term mining exemption (mining permit) for a period of 06 months and Letter of Intent was issued through office letter No.557/30MMC/2024-25 Dated 24.08.2024 in favor of Highest E-Tenderer.

True copy of notification dated 24.07.2024 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE R- 8** (Pg. No. to).

True copy of letter of intent dated 24.08.2024 issued in favor of Highest E-Tenderer is annexed herewith and marked as **ANNEXURE**

R-9 (Pg. No. to).



6. That apart from this, in the order dated 23.10.2024 passed in original application No.-1126/2024, Veer Singh vs. State of Uttar Pradesh, filed in this Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi it has been mentioned in point number-04 that

"It is also the allegation of the applicant that on account of falling in the pits created by private respondents due to illegal mining in the river-bed, two villagers had drawn"

With reference to above, this is to state that in the case in question, it has been mentioned in the report dated: 20/11/2023 submitted by Police Station-Poonch District-Jhansi that on 09.03.2023, in the Betwa river under the Earch bridge within the Police Station-Poonch area, 02 youths (1) Surendra Kumar Ahirwar son of Shri Laxmi Prasad resident of Mohalla- Ramganj town and Police Station Earch district Jhansi aged-26 years (2) Sunil son of Shri Rajesh Ahirwar resident of Mohalla Ramganj town and Police Station-Earch district Jhansi aged 22 years, who had gone to take bath in Betwa river, they had drowned in the deep water while bathing. The proceeding of Panchayatnama and post mortem were conducted for the dead bodies of the above deceased persons. Surendra Kumar Ahirwar and Sunil Ahirwar had gone to take bath in the above river. While bathing, due to high water level in Betwa river, both of them died due to drowning in the deep water of the river. True copy of report dated 20.11.2023 of Police station Poonch district Jhansi is annexed herewith and marked as **ANNEXURE R-10** (Pg. No. to).



Through Counsel

Respondent
No.8

(MUKESH VERMA)

ADVOCATE FOR RESPONDENT NO.8

Ch. No.50, Old Block

Supreme Court of India

New Delhi-110001

(M) 9810108098

E-mail: mvermadv@gmail.com

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI.

Original Application No.1126/2024

Veer Singh

...Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors.

...Respondents

AFFIDAVIT

I, Avinash Kumar aged about 41 years, District Magistrate, Jhansi presently at New Delhi do hereby solemnly affirm and state as under:-

1. That the deponent is posted in above capacity as such he is fully conversant with the facts of the case as such is competent to swear in this affidavit.
2. That I have read the accompanying reply to the Original Application No.1126/2024 filed by applicant and understood the contents thereof the same are true and correct as per my personal knowledge and belief.
3. That the Annexures accompanying are true and correct copies of their respective originals.


Deponent

VERIFICATION:

I, the above named deponent do hereby verify that the contents of above affidavit are true and correct as per knowledge and belief, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

Verified at New Delhi this the 07 day of February, 2025.


Deponent



Serial No. 201
Certified that the foregoing statement
sworn before me this day at 07/02/2025
by Shri/Smt/Ku. Avinash Kumar
whom the contents of this affidavit have
been read over and explained and who
is identified by Self
Received this 07/02/2025
Sharma
Advocate
Govt of India, New Delhi

कार्यालय जिलाधिकारी, झाँसी।

(खनिज अनुभाग)

A.D.M./P/

दिनांक: 22.03.2023

पत्रांक:- 1831 / 30एम0एम0सी0 / 2022-23

नोटिस

मैसर्स शुभ कन्सट्रक्शन

प्रो० श्रीमती शशि देवी पत्नी श्री वीरेन्द्र कुमार

निवासी म0नं0-168/19 नोनिया मोहाल कटरा,

जनपद-बांदा।

जनपद-झाँसी के तहसील-मोह स्थित ग्राम-सावेगपुर के आराजी संख्या-321म में 10.000 हे० क्षेत्र पर सवैया नदी तल स्थित बालू/भोरमें का 05 वर्षीय खनन पट्टा आपके पक्ष में स्वीकृत है। दिनांक: 03.03.2023 को राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा किये गये आकस्मिक निरीक्षण के दौरान उक्त पट्टा में निम्नलिखित अनियमितता पायी गयी जिसपर उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत देय शास्ति की धनराशि का विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	निरीक्षण के दौरान पट्टा क्षेत्र में पायी गयी अनियमितता	नियमावली, 2021 के नियम-60 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत विहित शर्तों का उल्लंघन करने के प्रति अवसर अथवा प्रति दिवस पर देय शास्ति की धनराशि (रु० में)	जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार विहित शर्तों का उल्लंघन करने के सन्दर्भ में आंकलन की गयी अवसरों यानि दिवसों की संख्या	07 दिवस में देय शास्ति की कुल धनराशि (रु० में)
1	अनुमोदित खनन योजना के अनुरूप खनन कार्य किया जाता हुआ नहीं पाया गया।	50,000.00	07	3,50,000.00
2	सीमा स्तम्भों का सम्यक अनुरक्षण किया हुआ नहीं पाया गया।	25,000.00	07	1,75,000.00
योग				5,25,000.00

अतः आपको एतद्वारा सूचित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के 03 दिवस के अन्दर उपरोक्तानुसार देय शास्ति की कुल धनराशि रु० 5,25,000.00 खनिज के निर्धारित लेखशीर्षक "0853, अलोह खनन तथा धातुकर्म खदान" में जमा कर ट्रेजरी चालान की मूलाप्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में आपके विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

उपरोक्त के सन्दर्भ में जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिये गये आदेश के अनुपालन में आपको यह भी सूचित करना है कि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर Last date of Inspection यानि दिनांक 03.03.2023 से शर्तों का उल्लंघन करने के अवसरों अथवा दिवसों की संख्या की गणना करते हुए देय शास्ति की कुल धनराशि वसूल किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

ज्येष्ठ खान अधिकारी,
झाँसी।

पत्रांक व तद दिनांक:

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, झाँसी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), झाँसी।

ज्येष्ठ खान अधिकारी,
झाँसी।

कार्यालय जिलाधिकारी, झाँसी।

(खनिज अनुभाग)

243

पत्रांक: 1657/30एम0एम0सी0/2023-24

दिनांक: 23/11/2023

नोटिस

मैसर्स शुभ कन्सट्रक्शन,
प्रो० श्रीमती शशि देवी
पत्नी श्री वीरेन्द्र कुमार
निवासी-म०न०-168/19 नोनिया-मोहाल,
कटरा जनपद-बांदा।

जनपद-झाँसी के तहसील-मोंट स्थित ग्राम-सलेमापुर के आराजी संख्या-321ग में 10.000 हे० क्षेत्र पर बेतवा नदी तल स्थित बालू/मोरम का 05 वर्षीय खनन पट्टा आपके पक्ष में स्वीकृत है। अधोहस्ताक्षरी के मौखिक निर्देश के कम में दिनांक: 21.11.2023 को खान निरीक्षक, झाँसी एवं सर्वेक्षक, खनन विभाग, झाँसी द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान लगभग 124.00 घनमीटर का अवैध खनन किया जाना पाया गया।

उक्त के सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि निरीक्षण दल द्वारा प्रेषित आख्या में उल्लिखित अवैध खनन की मात्रा (124.00 घनमीटर) के सापेक्ष शमन शुल्क के रूप में ₹0 6,11,600.00 (जिसमें रॉयल्टी के रूप में ₹0 18,600.00 व खनिमुख मूल्य के रूप में ₹0 93,000.00 एवं शास्ती के रूप में ₹0 5,00,000.00 सम्मिलित है) की धनराशि का जमा किया जाना है।

अतः आपको एतद्वारा सूचित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के 03 दिवस के अन्दर उपरोक्तानुसार देय शास्ति की कुल धनराशि ₹0 6,11,600.00 खनिज के निर्धारित लेखाशीर्षक "0853, अलोह खनन तथा धातुकर्म उद्योग" में जमा कर ट्रेजरी चालान की मूलप्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में आपके विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

ज्येष्ठ खान अधिकारी,
झाँसी।
23/11/23

पत्रांक व तद दिनांक:

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, झाँसी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), झाँसी।

ज्येष्ठ खान अधिकारी,
झाँसी।
23/11/23

कार्यालय जिलाधिकारी, झाँसी।

(251)

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक:- 19/14/30एम0एम0सी0/2023-24

दिनांक 16/01/2024

नोटिस

मैसर्स शुभ कन्सट्रक्शन

प्रो श्रीमती शशि देवी पत्नी श्री वीरेन्द्र कुमार

निवासी-म0न0-168/19 नोनिया मोहाल,

कटरा जनपद-बाँदा।

जनपद-झाँसी के तहसील-मोंठ स्थित ग्राम-सलेमापुर के आराजी संख्या-321ग में 10.000 हे० क्षेत्र पर बेतवा नदी तल स्थित बालू/मोरम का नीलामी पट्टा 05 वर्ष (दिनांक: 16.01.2021 से दिनांक: 15.01.2026 तक) की अवधि हेतु आपके पक्ष में स्वीकृत है। कतिपय शिकायतों के आधार पर दिनांक: 05.01.2024 को ग्राम-सलेमापुर में स्वीकृत बालू/मोरम के खनन पट्टे का निरीक्षण खान निरीक्षक, झाँसी एवं सर्वेक्षक, खनन विभाग, झाँसी के संयुक्त टीम द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान मौके पर एक पनडुब्बी पायी गयी, जिससे नदी की जलधारा में अवैध खनन किये जाने के साक्ष्य पाये गये। पट्टाधारिका द्वारा किया गया उक्त कृत उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम 42(ज) एवं नियम-3 का स्पष्ट उल्लंघन होना पाया गया। मौके पर पट्टाधारिका को स्पष्ट निर्देश दिये गये की भविष्य में यदि पट्टाधारिका द्वारा प्रतिबन्धित मशीन (पनडुब्बी मशीन) का उपयोग किया जाता है तो पट्टाधारिका के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी जिसका जिम्मेदार वे स्वयं होगी।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा पारित आदेश दिनांक: 12.01.2024 के क्रम आप द्वारा उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम 42(ज) एवं नियम-3 का उल्लंघन करने पर उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम 60(4) एवं नियम-58 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार प्रतिबन्धित मशीन लिफ्टर का प्रयोग किये जाने के कारण नियम-60(4) के अनुसार रू० 5,00,000.00 नदी की जल धारा में अवैध खनन किये जाने के कारण नियम-58 के अनुसार रू० 5,00,000.00, इस प्रकार कुल रू० 10,00,000.00 (दस लाख रुपये मात्र) की धनराशि आप पर अधिरोपित की जाती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के 03 दिन के भीतर निर्धारित धनराशि खनिज के लेखाशीर्षक "0853 अलोह खनन धातुकर्म उद्योग" में जमा कर, जमा ट्रेजरी चालान की प्रति इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(श्यामलता आनन्द)

अपर जिलाधिकारी, न्यायिक,

/८८२ झाँसी।

पत्रांक व तददिनांक:

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र०, खनिज भवन, लखनऊ।
- 2- जिलाधिकारी, झाँसी।

अपर जिलाधिकारी, न्यायिक,

/८८२ झाँसी।

कार्यालय जिलाधिकारी, झाँसी।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक:—2059/30एम0एम0सी0/2023-24

दिनांक 17/02/2024

नोटिस

मैसर्स शुभ कन्सट्रक्शन
प्रो० श्रीमती शशि देवी पत्नी श्री वीरेन्द्र कुमार
निवासी—म0न0—168/19 नोनिया मोहाल,
कटरा जनपद—बांदा।

श्री जवाहर लाल राजपूत, मा0 विधायक (भाजपा), 225 गरौटा, झाँसी के शिकायती पत्र क्रमांक—251887 दिनांक: 18.12.2023 द्वारा बेतवा नदी के सलेमापुर (मोठ) में स्वीकृत खनन पट्टे में पट्टाधारक द्वारा नदी की जलधारा को रोक कर प्रतिबन्धित मशीनों से व्यापक पैमाने पर अवैध खनन किये जाने की शिकायत के क्रम में प्रकरण की जाँच निदेशालय द्वारा गठित टीम से करायी गयी, जिसमें प्रश्नगत प्रकरण में गठित टीम द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र ग्राम—सलेमापुर के आराजी संख्या—321ग रकवा—10.00 हे० खनन क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण दिनांक: 11.01.2024 को किया गया। जिसमें संयुक्त निरीक्षण टीम द्वारा आपके प्रतिनिधि (कैशियर श्री सन्दीप कुमार पुत्र श्री सुभाष चन्द्र निवासी—ईटावा) की उपस्थिति में की गयी।

उपरोक्त निदेशालय स्तर से गठित टीम द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या दिनांक: 11.01.2024 के अनुसार आप द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र में उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार सीमा स्तम्भ न लगाया जाना नियम—36(1), वे-ब्रिज में लगे कैमरे की लेन्स सही दिशा में न रखना नियम—36(2), जलधारा में खनन किये जाने के कारण नियम—42(ज), अक्षांतर 25°47'56.44 देशान्तर 79°04'49.92 में लगभग 200 मीटर लम्बाई एवं 04 मीटर चौड़ाई में नदी की ओर अन्दर रास्ता बना हुआ पाया जाना नियम—35 एवं स्वीकृत क्षेत्र के बाहर लगभग कुल मात्रा 1248.20 घनमीटर का अवैध खनन कर मोरम भण्डारित किया जाना नियम—03 का उल्लंघन है, जिसमें नियम—60(2) के अन्तर्गत शास्ति के रूप में ₹0 50,000.00, नियम—60(3) के अन्तर्गत शास्ति के रूप में ₹0 50,000.00, नियम—60(4) के अन्तर्गत शास्ति के रूप में ₹0 5,00,000.00 एवं स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 1248.20 घनमीटर का अवैध खनन कर भण्डारित किये जाने के कारण नियम—58 के अन्तर्गत नियमानुसार (जिसमें रॉयल्टी के रूप में ₹0 1,87,230.00 तथा खनिमुख मूल्य के रूप में ₹0 1,87,230.00 X 5 = 9,36,150.00 एवं शास्ति शुल्क ₹0 5,00,000.00 की धनराशि सम्मिलित है) कुल ₹0 22,23,380.00 की शास्ति की धनराशि का अधिरोपित किया जाना है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि संयुक्त जांच आख्या दिनांक: 11.01.2024 में उल्लिखित अनियमिततायों के सम्बन्ध में अपना पक्ष साक्ष्य सहित नोटिस प्राप्त एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करें की क्यों न आपके विरुद्ध उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम—3, 35, 36(1), 36(2) एवं 42(ज) का उल्लंघन किये जाने के कारण नियम—58, 60(2), 60(3) व 60(4) के अन्तर्गत शास्ति के रूप में कुल धनराशि ₹0 22,23,380.00 अधिरोपित करते हुए वसूल किया जाय तथा आपके विरुद्ध दण्डनात्मक कार्यवाही की जाय। यदि आप द्वारा निर्धारित अवधि में अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह समझा जायेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जायेगी जिसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे।

संलग्नक:—संयुक्त जांच आख्या दिनांक: 11.01.2024।

(श्यामलता आनन्द)

अपर जिलाधिकारी, न्यायिक,
झाँसी।

पत्रांक एवं तददिनांक:

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र०, खनिज भवन, लखनऊ।
2. मा० विधायक (भाजपा), श्री जवाहर लाल राजपूत, 225—गरौटा, झाँसी।
3. जिलाधिकारी, झाँसी।

अपर जिलाधिकारी, न्यायिक,

झाँसी।

कार्यालय जिलाधिकारी, झाँसी ।
(खनिज अनुभाग)

27⁰

पत्रांक--2602/30एम0एम0सी0/2023-24

दिनांक 26/02/2024

नोटिस

मैसर्स शुभ कन्सल्टेशन
प्रो० श्रीमती शशि देवी पत्नी श्री वीरेन्द्र कुमार
निवासी--म०नं०--168/19 नोनिया मोहाल,
कटरा जनपद--बांदा।

जनपद--झाँसी के तहसील--मोठ स्थित ग्राम--सलेमापुर के आराजी संख्या--3214 में 10.000 हे० क्षेत्र पर बेतवा नदी तल स्थित बालू/मोरम का नीलामी पट्टा 05 वर्ष (दिनांक 16.01.2021 से दिनांक: 15.01.2026 तक) की अवाधि हेतु आपके पक्ष में स्वीकृत है। ज्येष्ठ खान अधिकारी महोदय के आदेशानुसार दिनांक: 24.02.2024 को ग्राम--शलेमापुर में स्वीकृत बालू/मोरम के खनन पट्टे का आकस्मिक निरीक्षण खान निरीक्षक, झाँसी एवं सर्वेक्षक, खनन विभाग, झाँसी के संयुक्त टीम द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र वर्तमान में जलभंग्न होना पाया गया एवं सीमास्तम्भ अपने जी०पी०एस० बाउण्ड्री कॉऑर्डिनेट पर लगा हुआ नहीं पाया गया तथा वे--ब्रिज में लगा सी०सी०टी०वी० कैमरा संचालित नहीं पाया गया। आपका उक्त कृत्य उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली--2021 के नियम--60(3) का उल्लंघन होना पाया गया।

उपरोक्त प्रस्तुत निरीक्षण जांच आख्या में उल्लिखित तथ्यों से स्पष्ट है कि आप द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में सीमास्तम्भ अपने जी०पी०एस० बाउण्ड्री कॉऑर्डिनेट पर न लगाया जाना तथा वे--ब्रिज में लगा सी०सी०टी०वी० कैमरा संचालित नहीं पाये जाने का कृत्य उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली--2021 के नियम--36 का उल्लंघन है जिसमें नियम--60(3) के अन्तर्गत नियमानुसार शास्ति शुल्क के रूप में प्रति अवशर रू० 25,000.00 की धनराशि वसूल किये जाने का प्राविधान है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के 03 दिवस के अन्दर उपरोक्तानुसार देय शास्ति की कुल धनराशि रू० 1,00,000.00 खनिज के निर्धारित लेखाशीर्षक "0853, अलोह खनन तथा धातुकर्म उद्योग" में जमा कर ट्रेजरी चालान की मूलप्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में आपके विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जायेगी जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(श्यामलता आनन्द)
अपर जिलाधिकारी(न्यायिक),
झाँसी।

पत्रांक व तद्दिनांक:

प्रतिलिपि: - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, झाँसी।

अपर जिलाधिकारी(न्यायिक),
झाँसी।

कार्यालय जिलाधिकारी, झाँसी।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक:- 16 / 30एम0एम0सी0 / 2023-24

दिनांक 03 / 04 / 2024

नोटिस

मैसर्स शुभ कन्सल्ट्रक्शन
प्रो० श्रीमती शशि देवी पत्नी श्री वीरेन्द्र कुमार
निवासी-म0नं0-168 / 19 नोनिया मोहाल,
कटरा जनपद-बांदा।

आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा के सम्बन्ध में सोशल मिडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर दिनांक: 22.03.2024 ट्विटरकर्ता Akhilesh Raj journalist (@patrakar_raj) यूजर द्वारा पोस्ट कर उल्लिखित "एरच स्थित सलेमापुर घाट पर बेतवा नदी में पन्नडुब्बियों और लिफ्टर मशीनों से हो रहे खुलेआम बालू का खनन" की जांच जनपदीय खान निरीक्षक एवं सर्वेक्षक द्वारा कर निरीक्षण आख्या दिनांक: 30.03.2024 को प्रस्तुत की गयी जिसमें जांचोपरान्त पायी गयी अनियमितताओं किया गया उल्लेख निम्नवत् है:-

1. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में कोई भी सीमास्तम्भ अपने बाउण्ड्री कॉओर्डिनेट अर्थात (A-B-C-D-A) पर लगे हुआ नहीं पाया गया।
2. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र के बाउण्ड्री कॉओर्डिनेट (A-D) से एरच पुल की ओर लगभग 190.00 मीटर स्वीकृत क्षेत्र से बाहर की दूरी पर दो सक्शन मशीन लिफ्टर पाये गये। जिसे मौके पर क्षतिग्रस्त किया गया।
3. उक्त सक्शन मशीन लिफ्टर के माध्यम से स्वीकृत क्षेत्र के बाहर पट्टेधारिका द्वारा किये गये अवैध खनन कर भण्डारित मात्रा की पैमाईश की गयी जिसका विवरण निम्नवत् है:-

लम्बाई (मीटर में) (1)	चौड़ाई (मीटर में) (2)	ऊचाई (मीटर में) (3)	कुल योग (मात्रा घनमीटर में) (1 X 2 X 3)
20	15	1.3	390

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत निरीक्षण आख्या के अनुसार आप द्वारा किया गया उक्त कृत्य यथा खनन पट्टा क्षेत्र में बाउण्ड्री कॉओर्डिनेट पर सीमास्तम्भ न लगाया जाना, स्वीकृत क्षेत्र से बाहर प्रतिबंधित मशीन लिफ्टर के माध्यम से अवैध खनन कर 390.00 घनमीटर भण्डारित किये जाने का कृत्य उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 36(1) व 42ज(1) का स्पष्ट उल्लंघन है। जिसमें दो सक्शन मशीन लिफ्टर के माध्यम से क्षेत्र के बाहर अवैध खनन किये जाने के कारण नियम-60(4) (प्रति अवसर पांच लाख रुपये की धनराशि) के अन्तर्गत कुल रू0 10,00,000.00 की धनराशि, सीमास्तम्भ न लगा हुआ पाये जाने के कारण नियम-60(3) (प्रति अवसर पच्चीस हजार रुपये की धनराशि) के अन्तर्गत नियमानुसार रू0 25,000.00 की शास्ति शुल्क के रूप में एवं क्षेत्र के बाहर अवैध खनन कर भण्डारित 390 घनमीटर बालू/मौरम पर रॉयल्टी के रूप में रू0 58,500.00 तथा खनिज मुख मूल्य के रूप में रू0 58,500.00 X 5 = 2,92,500.00 की धनराशि व नियम-58 के अन्तर्गत रू0 5,00,000.00 की शास्ति शुल्क अधिरोपित कर कुल धनराशि रू0 18,76,000.00 अधिरोपित की जाती है।

इसके अतिरिक्त प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में कार्यालय पत्र संख्या-2083 / 30एम0एम0सी0 / 2023-24 दिनांक: 17.02.2024 के माध्यम से निदेशालय के गठित टीम द्वारा दी गयी संयुक्त जांच आख्या में उल्लिखित अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम-58, 60(2), 60(3) व 60(4) में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार रू0 22,23,380.00 शास्ति के रूप में धनराशि अधिरोपित कर नोटिस किया गया। जिसे आप द्वारा अब तक खनिज के निर्धारित लेखाशीर्षक "0853" में जमा नहीं कराया गया है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि आप द्वारा उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 36(1), 36(2), 42ज(1) एवं निष्पादित पट्टाविलेख में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन बार-बार किया जा रहा है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के पन्द्रह कार्य दिवस के अन्दर उपरोक्तानुसार कार्यालय पत्र संख्या-2083 / 30एम0एम0सी0 / 2023-24 दिनांक: 17.02.2024 में नियमानुसार अधिरोपित धनराशि रू0 22,23,380.00 एवं निरीक्षण आख्या दिनांक: 30.03.2024 में उल्लिखित अनियमितताओं के सम्बन्ध में निर्धारित प्राविधानों के अनुसार शास्ति की धनराशि रू0 18,76,000.00 इस प्रकार कुल अधिरोपित धनराशि रू0 40,99,380.00 खनिज के निर्धारित लेखाशीर्षक "अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग 0853" में जमा कर चालान की एक प्रति कार्यालय में उपलब्ध कराते हुए इस सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत करें की क्यो न उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-61(1) के अन्तर्गत आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा के निरस्तीरण की कार्यवाही की जाय।

जिलाधिकारी,
झाँसी।

o/c

पत्रांक व तद दिनांक:

प्रतिलिपि - निदेशक, मृतत्त्व एवं खनिज निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ सादर सूचना

जिलाधिकारी,
झाँसी।

o/c

कार्यालय जिलाधिकारी, झाँसी।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक:- 293/30एम0एम0सी0/2024-25

दिनांक: 19/06/2024

आदेश

जनपद-झाँसी के तहसील-मोंठ स्थित ग्राम-सलेमापुर के आराजी संख्या-321ग मे 10.00 हेक्टेयर नदी तल क्षेत्र पर प्रतिवर्ष 50,000.00 घनमीटर बालू/मोरम का खनन व परिवहन करने हेतु उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) (यथासंशोधित) नियमावली-2021 के अध्याय-4 के अन्तर्गत ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रणाली के माध्यम से 05 वर्ष (दिनांक: 16.01.2021 से दिनांक: 15.01.2026 तक) की अवधि हेतु मेसर्स शुभ कन्सट्रक्शन प्रो0 श्रीमती शशि देवी पत्नी श्री वीरेन्द्र कुमार निवासी-168/19 नोनिया मोहाल, कटरा, जनपद-बाँदा के पक्ष में नीलामी पट्टा स्वीकृत/निष्पादित किया गया।

उक्त स्वीकृत खनन पट्टा के चतुर्थ वर्ष की चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठम किश्त जो पट्टा विलेख के भाग-02 के अनुसार निर्धारित किश्तों की कुल धनराशि रू0 2,01,48,480.00, जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास की कुल धनराशि रू0 20,54,841.00 तथा टी0सी0एस0 की कुल धनराशि रू0 3,80,136.00 की देयता प्रत्येक माह के प्रथम दिवस को देय हो गयी थी। जिसे आप द्वारा समयान्तर्गत जमा नहीं किया गया, जिस कारण बकाया धनराशि उक्त नियमावली-2021 के नियम-59 व 61 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन कार्यालय पत्र संख्या-36/30एम0एम0सी0/2024-25 दिनांक: 18.04.2024 एवं अन्तिम नोटिस कार्यालय पत्र संख्या-82/30एम0एम0सी0/2023-24 दिनांक: 27.04.2024 को जमा कराये जाने के सम्बन्ध में नोटिस निर्गत किया गया। जिसके उपरान्त भी आपके द्वारा जमा नहीं कराया गया। इसके अतिरिक्त स्वीकृत खनन पट्टा के प्रथम,द्वितीय,तृतीय एवं चतुर्थ वर्षों में जमा की गयी किश्तों की धनराशि, डी0एम0एफ0 की धनराशि तथा टी0सी0एस0 की धनराशि का विवरण एवं बकाया (मूल/ब्याज) की स्थिति निम्नवत् है:-

पट्टा वर्ष	देय धनराशि व तौथि का विवरण			जमा धनराशि व तौथि का विवरण			बकाया एवं ब्याज की धनराशि का विवरण (किश्त पर ब्याज- 18 प्रतिशत वार्षिक डी0एम0एफ0 पर ब्याज- 15 प्रतिशत वार्षिक)					
	किश्त	डी0एम0एफ0	टी0एस0एस0	किश्त	डी0एम0एफ0	टी0एस0एस0	किश्त		डी0एम0एफ0		टी0एस0एस0	
							धनराशि	ब्याज	धनराशि	ब्याज	धनराशि	ब्याज
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
प्रथम पट्टा वर्ष	9520000 01.01.2021	9520000 01.01.2021	190400	9520000 06.10.2020	952000 31.12.2020	190400	-	-	-	-	-	-
द्वि-22)	4760000 01.02.2021	4760000 01.02.2021	95200	4760000 30.01.2021	476000 04.02.2021	95200	-	-	-	-	-	-
	4760000 01.03.2021	4760000 01.03.2021	95200	4760000 24.02.2021	476000 06.03.2021	95200	-	-	-	-	-	-
	4760000 01.04.2021	4760000 01.04.2021	95200	4760000 19.03.2021	476000 23.03.2021	95200	-	-	-	-	-	-
	4760000 01.05.2021	4760000 01.05.2021	95200	4760000 22.04.2021	476000 23.04.2021	95200	-	-	-	-	-	-
	4760000 01.06.2021	4760000 01.06.2021	95200	4760000 28.05.2021	476000 28.05.2021	95200	-	-	-	-	-	-
	4760000 01.07.2021	4760000 01.07.2021	95200	4760000 24.09.2021	476000 27.09.2021	95200	-	-	-	-	-	-
	4760000 01.11.2021	4760000 01.11.2021	95200	4760000 28.10.2021	476000 28.10.2021	95200	-	-	-	-	-	-
	4760000 01.12.2021	4760000 01.12.2021	95200	4760000 30.11.2021	476000 30.11.2021	95200	-	-	-	-	-	-
द्वितीय पट्टा वर्ष	10472000 01.01.2022	10472000 01.01.2022	209440	10472000 21.01.2022	1047200 05.02.2022	209440	-	108444	-	14630	-	-
22-23)	5236000 01.02.2022	5236000 01.02.2022	104720	5236000 31.01.2022	523600 05.02.2022	104720	-	-	-	-	-	-
	5236000 01.03.2022	5236000 01.03.2022	104720	5236000 28.02.2022	523600 07.03.2022	104720	-	-	-	-	-	-
	5236000 01.04.2022	5236000 01.04.2022	104720	5236000 30.03.2022	523600 31.03.2022	104720	-	-	-	-	-	-
	5236000 01.05.2022	5236000 01.05.2022	104720	5236000 02.05.2022	523600 05.05.2022	104720	-	-	-	-	-	-
	5236000 01.06.2022	5236000 01.06.2022	104720	5236000 31.05.2022	523600 31.05.2022	104720	-	-	-	-	-	-
	5236000 01.10.2022	5236000 01.10.2022	104720	5236000 10.11.2022	523600 21.11.2022	104720	-	103280	-	10750	-	-

(2)

	5236000 01.11.2022	523600 01.11.2022	104720	5236000 11.11.2022	523600 21.11.2022	104720	--	25820	--	4515	--	--	
	5236000 01.12.2022	523600 01.12.2022	104720	5236000 15.11.2022	523600 30.11.2022	104720	--	--	--	--	--	--	
तृतीय पट्टा वर्ष (23-24)	11519200 01.01.2023	1151920 01.01.2023	230284	11519200 03.02.2023	1151920 02.03.2023	230284	--	187440	--	29326	--	--	
	5759600 01.02.2023	575960 01.02.2023	115192	5759600 20.02.2023	575960 02.03.2023	115192	--	56800	--	7316	--	--	
	5759600 01.03.2023	575960 01.03.2023	115192	5759600 27.02.2023	575960 02.03.2023	115192	--	--	--	--	--	--	
	5759600 01.04.2023	575960 01.04.2023	115192	5759600 25.03.2023	575960 20.03.2023	115192	--	--	--	--	--	--	
	5759600 01.05.2023	575960 01.05.2023	115192	5759600 29.04.2023	575960 29.04.2023	115192	--	--	--	--	--	--	
	5759600 01.06.2023	575960 01.06.2023	115192	5759600 31.05.2023	575960 01.06.2023	115192	--	--	--	--	--	--	
	5759600 01.10.2023	575960 01.10.2023	115192	5759600 26.10.2023	575960 28.11.2023	115192	--	73840	--	13688	--	--	
	5759600 01.11.2023	575960 01.11.2023	115192	5759600 04.11.2023	575960 28.11.2023	115192	--	11360	--	6608	--	--	
	5759600 01.12.2023	575960 01.12.2023	115192	5759600 01.12.2023	575960 01.12.2023	115192	--	--	--	--	--	--	
चतुर्थ पट्टा वर्ष (24-26)	12671120 01.01.2024	1267112 01.01.2024	253423	12671120 19.01.2024	1267112 18.02.2024	253423	--	118712	--	23920	--	--	
	6335560 01.02.2024	633556 01.02.2024	126712	6335560 29.01.2024	633556 18.02.2024	126712	--	--	--	5460	--	--	
	6335560 01.03.2024	633556 01.03.2024	126712	6335560 28.02.2024	633556 22.03.2024	126712	--	--	--	--	--	--	
	6335560 01.04.2024	633556 01.04.2024	126712	--	--	--	6335560	246796	633556	20540	126712	--	
	6335560 01.05.2024	633556 01.05.2024	126712	--	--	--	6335560	15376	633556	12740	126712	--	
	6335560 01.06.2024	633556 01.06.2024	126712	--	--	--	6335560	37488	633556	4680	126712	--	
	योग							19008880	1141800	1900668	154173	380136	--

उपरोक्त तालिका के अनुसार किश्त के मद में ब्याज सहित कुल रू 2,01,48,480.00 धनराशि, डी0एम0एफ0 के मद में ब्याज सहित रू 20,54,841.00 एवं टी0सी0एस0 के मद में रू 3,80,136.00 की धनराशि बकाया है। इस प्रकार कुल रू 2,25,83,457.00 की धनराशि आपके ऊपर बकाया के रूप में देय है।

इसके अतिरिक्त कार्यालय पत्र संख्या-2059/30एम0एम0सी0/2023-24 दिनांक: 17.02.2024 के माध्यम से निदेशालय के गठित टीम द्वारा दी गयी संयुक्त जांच आख्या में उल्लिखित अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम-58, 60(2), 60(3) व 60(4) में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार रू 22,23,380.00 शास्ति के रूप में धनराशि अधिरोपित कर नोटिस निर्गत किया गया। जिसे आप द्वारा अब तक खनिज के निर्धारित लेखाशीर्षक "0853" में जमा नहीं कराया गया है, खनन पट्टा क्षेत्र से उपखनिजों के परिवहन करते समय निर्गत ई-एम0एम0 11 से अधिक मात्रा का परिवहन (Volume Mismatch) करने के सम्बन्ध में जारी नोटिस दिनांक: 05.03.2024 में उल्लिखित धनराशि रू 86,215.00 भी अभी तक जमा नहीं किया गया तथा कतिपय प्राप्त शिकायतों के क्रम में जनपदीय खान निरीक्षक एवं सर्वेक्षक द्वारा पट्टा क्षेत्र का आकस्मिक निरीक्षण दिनांक: 30.03.2024 को किया गया, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र में बाउण्ड्री कॉऑर्डिनेट्स पर सीमास्तम्भ न लगाया जाना, स्वीकृत क्षेत्र से बाहर प्रतिबन्धित मशीन लिफ्टर के माध्यम से अवैध खनन कर 390.00 घनमीटर भण्डारित किये जाने का कृत्य उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 36(1) व 42ज(1) में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार रू 18,76,000.00 शास्ति के रूप में धनराशि अधिरोपित करते हुए पट्टाविलेख में उल्लिखित शर्तों का बार-बार उल्लंघन किये जाने के कारण नियम-61(1) के अन्तर्गत स्वीकृत खनन पट्टा के निरस्तीकरण की कार्यवाही क्यों न कर दी जाय के परिपेक्ष में

(3)

स्पष्टीकरण स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में कार्यालय पत्र संख्या--16/30एम0एम0सी0/2023-24 दिनांक: 03.04.2024 द्वारा नोटिस निर्गत किया गया। जिसके सम्बन्ध में आप द्वारा अब तक कार्यालय में कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया और न ही नोटिस में उल्लिखित शास्ति की धनराशि खनिज के निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा नहीं कराया गया।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि पट्टाधारिका द्वारा उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 36(1) व 42ज(1) एवं पट्टाविलेख में निर्धारित शर्तों का बार-बार उल्लंघन किया जा रहा है तथा निर्धारित देय किश्त, डी0एम0एफ0 व टी0सी0एस0 भी समयान्तर्गत जमा नहीं किया गया।

उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-61 में उल्लिखित प्राविधान निम्नवत् है:-

- (1) पट्टेदार द्वारा इन नियमों या पट्टे में दी गई या दी गई समझी जाने वाली शर्तों और प्रसंविदाओं के सिवाय उनके, जो स्वामित्व, भाटक या राज्य सरकार को देय अन्य धनराशियों के भुगतान से संबंधित हो, भंग या उल्लंघन किये जाने की दशा में राज्य सरकार पट्टेदार को अपना मामला बताने की युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् पट्टा समाप्त कर सकती है। यह अधिकार नियम-80 के उपबन्धों के अतिरिक्त होगा और इसका उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- (2) यदि उप नियम (1) अथवा नियम-59 के अधीन पट्टा समाप्त कर दिया जाता है तो पट्टेदार का जिलाधिकारी द्वारा दो वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए जैसा कि वह उचित समझे, काली सूची में डाल सकता है, जो विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी और ऐसी अवधि के दौरान उसको इस नियमावली के अधीन कोई खनिज परिहार अनुमत्य नहीं होगा। इस संबंध में यथास्थिति, खनन पट्टे के रजिस्टर में या नीलामी रजिस्टर के अभ्युक्ति वाले स्तम्भ में एक प्रविष्टि अंकित कर दी जायेगी।

उपरोक्त उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार पट्टाधारिका द्वारा प्रश्नगत खनन पट्टा में जमा की गयी प्रतिभूत की धनराशि ₹0 1,19,00,000.00 में से निम्न बकाया धनराशि को समायोजित किया जाता है:-

क्र० सं०	बकाया के मद का विवरण	बकाया/शास्ति की धनराशि (₹0 में)
1	किश्त ब्याज सहित	2,01,48,480.00 (किश्त 1,90,06,680.00 + 11,41,800.00 ब्याज)
2	डी0एम0एफ0 ब्याज सहित	20,54,841.00 (डी0एम0एफ0 19,00,668.00 + 1,54,173 ब्याज)
3	टी0सी0एस0	3,80,136.00
4	Volume Mismatch के सम्बन्ध में नोटिस दिनांक: 05.03.2024	86,215.00
6	अवेध खनन का नोटिस दिनांक: 03.04.2024	40,99,380.00
बकाया कुल धनराशि		2,67,08,140.00
समायोजन उपरान्त बकाया शेष धनराशि		2,67,69,052.00 - 1,19,00,000.00 = 1,48,69,052.00

अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-61 के अन्तर्गत आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा जनपद-झाँसी के तहसील-मोंठ स्थित ग्राम-सलेमापुर के आराजी संख्या-321ग मे 10.00 हेक्टेयर को निरस्त कर प्रश्नगत क्षेत्र को रिक्त घोषित किया जाता है एवं नियम-61(2) के अन्तर्गत पट्टाधारिका का नाम दो वर्ष की

(4)

(4)

अवधि हेतु काली सूची में डाला जाता है तथा आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त बकाया शेष धनराशि रू0 1,48,69,052.00 खनिज के निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा करना सुनिश्चित करें। मेसर्स शुभ कन्सट्रक्शन प्रो0 श्रीमती शशि देवी पत्नी श्री वीरेन्द्र कुमार द्वारा बकाया वांछित धनराशि निर्धारित समय से जमा नहीं किये जाने पर बकाया धनराशि को भू-राजस्व की भांति वसूल करने की कार्यवाही की जायेगी।

जिलाधिकारी,
झाँसी।

पत्रांक व तद् दिनांक:-

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
- 2- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, खनिज भवन, लखनऊ।
- 3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी।
- 4- अपर आयुक्त, आयकर विभाग, झाँसी को इस आशय से प्रेषित कि पट्टाधारक से टी.सी.एस(आयकर) की उक्त धनराशि रू0 3,80,136.00 वसूल करने हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
- 5- अपर जिलाधिकारी(न्यायिक), झाँसी।
- 6- उपजिलाधिकारी/क्षेत्राधिकारी, मोंठ।
- 7- मेसर्स शुभ कन्सट्रक्शन प्रो0 श्रीमती शशि देवी पत्नी श्री वीरेन्द्र कुमार निवासी-168/19 नोनिया मोहाल, कटरा, जनपद-बांदा।

जिलाधिकारी,
झाँसी।

कार्यालय जिलाधिकारी, झाँसी।

(खनिज अनुभाग)

संख्या 402/30 एम0एम0सी/ई-निविदा/बालू/मोरम/2024-25

दिनांक:-24/07/2024

ई-निविदा आमन्त्रण हेतु ई-निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या 781/86-2020-14 (सा0)/2020 भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ दिनांक: 23.05.2020 में दिये गये निर्देशों के अधीन जनपद-झाँसी में नदी तल पर उपलब्ध बालू/मोरम के निम्नलिखित रिक्त क्षेत्रों को ई-निविदा के माध्यम से 06 माह की अवधि हेतु अल्पकालीन खनन परिहार (खनन अनुज्ञा पत्र) पर स्वीकृत किये जाने हेतु एतद् द्वारा उपलब्ध घोषित करते हुए इस क्षेत्र के लिए पाँच कार्य दिवस यानि दिनांक: 06/08/2024 समय 10.00 बजे प्रातः से दिनांक: 13/08/2024 समय 5:00 बजे सायं तक अधोलिखित शर्तों के अधीन ई-निविदा पोर्टल "etenders.up.nic.in" पर ई-निविदा आमंत्रित की जाती है:-

बालू/मोरम के रिक्त खनन क्षेत्रों का विवरण :-

क्र0 सं0	उपखनिज का नाम	नदी का नाम	क्षेत्र का विवरण				जियो कोआर्डिनेटस		न्यूनतम रायल्टी की दर (रु0 प्रति घनमीटर)	उपखनिज की निर्धारित अर्द्धवार्षिक मात्रा (घनमीटर)	आधार मूल्य (न्यूनतम रायल्टी की दर x निर्धारित अर्द्धवार्षिक मात्रा)	अर्नेस्ट मनी (आधार मूल्य का 50 प्रतिशत) (रुपये में)
			तहसील	ग्राम	आराजी संख्या (खण्ड संख्या)	क्षेत्रफल (हे0 में)	Latitude	Longitude				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	बालू/मोरम	बेतवा	मोठ	सौजना	321 (खण्ड-1)	4.500	A- 25°-39'-23.90" B- 25°-39'-30.90" C- 25°-39'-28.10" D- 25°-39'-21.10"	78°-58'-36.30" 78°-58'-43.40" 78°-58'-47.90" 78°-58'-31.30"	150.00	22,500.00	33,75,000.00	16,87,500.00
2	बालू/मोरम	बेतवा	मोठ	सलेमापुर	321ग	10.000	A- 25°-48'-04.67" B- 25°-48'-24.19" C- 25°-48'-22.36" D- 25°-48'-03.30"	79°-04'-54.80" 79°-05'-01.80" 79°-05'-07.60" 79°-05'-00.17"	150.00	50,000.00	75,00,000.00	37,50,000.00
3	बालू/मोरम	बेतवा	गरौठा	खमा	01क, 470	12.000	A- 25°-46'-33.40" B- 25°-46'-36.43" C- 25°-46'-22.40" D- 25°-46'-17.44" E- 25°-46'-16.66"	79°-18'-31.10" 79°-18'-35.03" 79°-18'-49.20" 79°-18'-53.11" 79°-18'-45.32"	150.00	48,000.00	72,00,000.00	36,00,000.00

शर्त :-

- 1- अनुज्ञा पत्र की अवधि (मानसून सत्र जुलाई, अगस्त सितम्बर को छोड़कर) अधिकतम 06 माह के लिए होगी।
- 2- किसी भी रिक्त खनन क्षेत्र के लिए निर्धारित बालू/मोरम की मात्रा पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र (EC) में अनुमन्य मात्रा से भिन्न होने पर पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र (EC) में अनुमन्य मात्रा ही स्वीकार्य होगा।
- 3- प्रत्येक क्षेत्र के लिए आधार मूल्य उस क्षेत्र में छः माह की अवधि के अन्दर खनन व निकासी किये जाने योग्य निर्धारित/आंकलित उपखनिज की मात्रा (घनमीटर में) एवं उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के प्रथम अनुसूची में नदी तल स्थित बालू/मोरम के लिए विनिर्दिष्ट रॉयल्टी की दर रु0 150.00 प्रति घनमीटर के गुणनफल के समतुल्य होगा।
- 4- किसी क्षेत्र की ई-निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करने से पूर्व उस क्षेत्र के लिए निर्धारित प्री-बिड अर्नेस्ट मनी की धनराशि, जो उस क्षेत्र के आधार मूल्य के 50 प्रतिशत के समतुल्य होगा, का बैंक ड्राफ्ट (जो जिलाधिकारी, झाँसी के पक्ष में देय होगा) जमा करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग-अलग ई-निविदा प्रस्तुत की जायेगी तथा तदनुसार प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग-अलग अर्नेस्ट मनी का बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा।

- 5- इच्छुक ई-निविदाकार किसी भी क्षेत्र की ई-निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करने से पूर्व उस क्षेत्र में आंकलित बालू/मोरम की मात्रा एवं खनन स्थल के लिए पहुँच मार्ग आदि के सम्बन्ध में मौके का स्वयं निरीक्षण कर आश्वस्त हो लें। ई-निविदा में भाग लेने के पश्चात् इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 6- यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड को प्रदेश में ई-निविदा कराने हेतु नोडल संस्था नामित किया गया है। निविदाकार को ई-निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही करनी होगी:-
- (क) ई-निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले विडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/बेन्डर्स द्वारा किसी भी सर्टिफाइंग एजेन्सी से टाईप-II का डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करना होगा।।
- (ख) इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी (आवेदक) को यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से "etenders.up.nic.in" पर ऑनलाईन पंजीयन कराना होगा। पंजीयन हेतु व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ई-निविदा "etenders.up.nic.in" के पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाईन फार्म भरना होगा, निविदादाता अपने स्वयं जनित यूजर आई0डी0 व पासवर्ड बनायेगें।
- (ग) बिडर्स/कनट्रैक्टर्स/बेन्डर्स ई-निविदा पोर्टल पर प्रशिक्षण यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।
- 7- निविदादाता द्वारा ऑनलाईन निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करते समय "etenders.up.nic.in" पोर्टल पर स्वयं की आई0डी0 लॉगिन कर तकनीकी बिड के समय संलग्न प्रारूप-2 पर सूचनायें भरकर स्कैन प्रति एवं निम्नलिखित स्वप्रमाणित अभिलेख/प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा:-

प्रारूप- 2 की सूचनायें :-

- क. विज्ञप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञापित किया गया है।
- ख. विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक।
- ग. निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता (स्थायी और वर्तमान) ई-मेल एवं मो0 नं0।
- घ. उस क्षेत्र और खनिज का विवरण जिसके लिए निविदा प्रस्तुत की गयी है।
- ङ. अप्रतिदेय आवेदन शुल्क रू0 2000/- का चालान संख्या व दिनांक।
- च. आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र का क्रमांक।
- छ. पैन कार्ड का क्रमांक।
- ज. चरित्र प्रमाण पत्र की संख्या व दिनांक तथा जनपद जहां से जारी किया गया हो।
- झ. कम्पनी की दशा में कम्पनी का DIN संख्या।

स्वप्रमाणित अभिलेख/प्रमाण पत्र :-

- क. ई-निविदा की प्रक्रिया में भाग लेने हेत रू0 2,000.00/- का अप्रतिदेय आवेदन शुल्क का चालान।
- ख. आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र।
- ग. पैन कार्ड।
- घ. जिलाधिकारी या ऐसे अधिकारी जो जिलाधिकारी द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाए, द्वारा जारी खनन अदेयता का प्रमाण पत्र परन्तु जहाँ आवेदक प्रदेश में पट्टा धारक/परिहारधाक न रहा हो वहाँ इस आशय का शपथ पत्र।



- 16- खनन अनुज्ञा पत्र के अवधि की समाप्ति के दिनांक तक या ऐसे दिनांक तक, जब तक खनिज की अनुज्ञात मात्रा हटा न ली जाये, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए अनुज्ञा पत्र वैध होगा।
- 17- पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अनुमोदित खनन योजना में दी गयी शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही खनन संक्रियाएँ सम्पादित करना होगा।
- 18- क्षेत्र की स्थानीय स्थिति तथा प्राविधिक समस्याओं के दृष्टिगत अतिरिक्त शर्तों का निर्धारण जिलाधिकारी, झाँसी द्वारा आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा।
- 19- मा० उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेश, उ०प्र० उप खनिज (परिहार) नियमावली-2021 तथा समय-समय पर निर्गत समस्त संगत शासनादेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
- 20- अन्य नियम एवं शर्तें जो क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के कारण जिलाधिकारी, झाँसी द्वारा आवश्यक समझी जाय।

जिलाधिकारी
झाँसी।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 2- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- 3- प्रबन्ध निदेशक यू०पी० इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लि०, अशोक मार्ग लखनऊ।
- 4- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, लखनऊ।
- 6- प्रभागीय वनाधिकारी, झाँसी वन प्रभाग, झाँसी।
- 7- अपर जिलाधिकारी (न्यायिक)/प्रभारी अधिकारी (खनिज), झाँसी।
- 8- क्षेत्रीय अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र०, क्षेत्रीय कार्यालय, झाँसी।
- 9- उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, मोंठ, गरौठा को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
- 10- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, झाँसी।
- 11- जिला सूचना अधिकारी, झाँसी को स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
- 12- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, झाँसी को जनपद झाँसी की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 13- प्रभारी अधिकारी, नजारत, कलैक्ट्रेट, झाँसी को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 14- सम्बन्धित ग्राम प्रधान/सचिव को प्रस्तावित क्षेत्र के समीप किसी सुविधाजनक स्थल पर चस्पा करने हेतु।

जिलाधिकारी
झाँसी।

कार्यालय जिलाधिकारी, झाँसी ।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक: 557 / 30एम0एम0सी0 / 2024-25

दिनांक: 24/08/2024

आशय-पत्र (Letter of Intent)

शासनादेश संख्या 781/86-2020-14 (सा0)/2020 भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ दिनांक 23.05.2020 में दिये गये निर्देशों के अनुसार जनपद-झाँसी में नदी तल पर उपलब्ध बालू/मोरम के रिक्त क्षेत्रों को ई-निविदा के माध्यम से 06 माह की अवधि हेतु अल्पकालीन खनन परिहार पर स्वीकृत किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या-402/30एम0एम0सी0/ई-निविदा/बालू/मोरम/2024-25 दिनांक: 24.07.2024 द्वारा उपलब्ध घोषित/विज्ञापित करते हुए इन क्षेत्रों के लिए पूर्व निर्धारित पाँच कार्य दिवस (दिनांक: 06.08.2024 के 10.00 बजे पूर्वान्ह से दिनांक: 13.08.2024 के 5:00 बजे अपराह्न तक) के अन्दर ई-निविदा पोर्टल "etenders.up.nic.in" पर सर्वसाधारण से ई-निविदा आमंत्रित किया गया था जिसे जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित ई-निविदा समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक: 14.08.2024 को सम्बन्धित ई-निविदाकारों अथवा उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला गया।

उक्त विज्ञप्ति दिनांक: 24.07.2024 के क्रम में बेतवा नदी तल स्थित बालू/मोरम के निम्नलिखित क्षेत्र हेतु पी0एस0ए0 कांट्रेक्टर एल0एल0पी0 पार्टनर श्री पंकज सिंह पुत्र श्री किशन पाल सिंह निवासी-प्लाट नं0-618 मॉडर्न आपर्टमेन्ट सेक्टर-15 वी0टी0सी0 रोहिनी, जिला उत्तर पश्चिम दिल्ली द्वारा प्रस्तुत ई-निविदा रू0 2089.10 प्रति घनमीटर सर्वोच्च पायी गयी:-

क्र0 सं0	क्षेत्र का विवरण	क्षेत्र में 06 माह हेतु खनन योग्य आंकलित बालू/मोरम की मात्रा (घ0मी0 में)	नियमावली-1963 की अनुसूची-1 के अनुसार न्युनतम रॉयल्टी की दर (रू0 प्रति घ0मी0)	प्राप्त सर्वोच्च ई-निविदा की दर (रू0 प्रति घ0मी0)	देय रॉयल्टी की कुल धनराशि (रू0 में)	देय रॉयल्टी का 50 प्रतिशत की धनराशि (रू0 में)	प्रतिभूति के रूप में जमा धनराशि (रू0 में)	देय रॉयल्टी की अवशेष धनराशि (रू0 में)
1	2	3	4	5	6 (3x5)	7	8	9 (7-8)
1	तहसील-मोठ, ग्राम-सलेमापुर, आराजी संख्या-321ग क्षेत्रफल-10.000 हेक्टेयर	50,000.00	150.00	2089.10	10,44,55,000.00	5,22,27,500.00	37,50,000.00	4,84,77,500.00

ई-निविदा समिति द्वारा की गयी संस्तुति दिनांक: 14.08.2024 द्वारा बालू/मोरम के उपरोक्त क्षेत्र हेतु पी0एस0ए0 कांट्रेक्टर एल0एल0पी0 पार्टनर श्री पंकज सिंह द्वारा प्रस्तुत सर्वोच्च ई-निविदा रू0 2089.10 प्रति घनमीटर को स्वीकार करते हुये सर्वोच्च ई-निविदाकार पी0एस0ए0 कांट्रेक्टर एल0एल0पी0 पार्टनर श्री पंकज सिंह पुत्र श्री किशन पाल सिंह निवासी-प्लाट नं0-618 मॉडर्न आपर्टमेन्ट सेक्टर-15 वी0टी0सी0 रोहिनी, जिला उत्तर पश्चिम दिल्ली के पक्ष में खनन अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किये जाने के निमित्त आशय-पत्र निर्गत करने हेतु जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक: 23/08/2024 द्वारा स्वीकृत प्रदान कर दी गयी है। अतः निम्नलिखित शर्तों के अधीन पी0एस0ए0 कांट्रेक्टर एल0एल0पी0 पार्टनर श्री पंकज सिंह के पक्ष में एतद् द्वारा आशय-पत्र निर्गत किया जाता है:-

शर्तें:

- उक्त तालिका के कॉलम-9 में अंकित देय रॉयल्टी का पचास प्रतिशत की अवशेष धनराशि रू0 4,84,77,500.00 (चार करोड़ चौरासी लाख सतहत्तर हजार पाँच सौ रुपये मात्र) आशय पत्र (Letter of intent) निर्गत किये जाने की तिथि से 02 कार्य दिवस के अन्दर जनपद-झाँसी में खनिज के निर्धारित लेखा शीर्षक "0853, अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग" में जमा कर ट्रेजरी चालान की मूलप्रति जिलाधिकारी कार्यालय (खनिज अनुभाग), झाँसी में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि के अन्दर उपरोक्तानुसार देय रॉयल्टी का पचास प्रतिशत की अवशेष धनराशि रू0 4,84,77,500.00 (चार करोड़ चौरासी लाख सतहत्तर हजार पाँच सौ रुपये मात्र) जमा करने में विफल होने पर निर्गत उक्त आशय पत्र को निरस्त करते हुए सर्वोच्च ई-निविदाकार द्वारा प्रतिभूति के रूप में जमा की गयी कुल धनराशि रू0 37,50,000.00 (सैंतीस लाख पचास हजार रुपये) राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी तथा इस सम्बन्ध में प्रस्तुत कोई प्रत्यावेदन विचारणीय नहीं होगा।


(2)

- 2- अनुज्ञा पत्र पूर्व निर्धारित 06 माह की समाप्ति के दिनांक तक अथवा ऐसे दिनांक तक जब तक खनिज की अनुज्ञात मात्रा हटा न ली जाये, इनमे से जो भी पहले हो, के लिए वैध होगा।
- 3- उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-17 के प्राविधानों के अनुसार पट्टाधारक क्षेत्र का सीमांकन करायेगा तथा नियम-36 के अनुसार सीमा स्तम्भ लगायेगा एवं उनका अनुरक्षण करने हेतु सदैव उत्तरदायी होगा।
- 4- उक्त नियमावली-2021 के नियम-35 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा अनुमोदित खनन योजना प्रस्तुत करना होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक: 14.09.2006 तथा यथा संशोधित उपबन्धों के अधीन उक्त क्षेत्र हेतु पूर्व में प्राप्त पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र (Environment clearance) को अपने पक्ष में स्थानान्तरित कराना अनिवार्य होगा।
- 5- राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित कर व शुल्क यथा आयकर (देय रायल्टी की कुल धनराशि का दो प्रतिशत) एवं जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास (देय रायल्टी की कुल धनराशि का दस प्रतिशत) उपादान के रूप में जमा करना होगा।
- 6- खनन अनुज्ञा पत्र के अधीन दिये गये क्षेत्र के सर्वेक्षण और सीमांकन के समय सीमांकित मानचित्र पर खनन पट्टा क्षेत्र का कॉर्डिनेट्स अंकित करायेगा।
- 7- खनन संक्रियाओं का संचालन उचित और दक्षतापूर्ण कुशल कारीगर की भाँति करेंगे।
- 8- नियम-36 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार परिवहन की निगरानी के लिए स्वयं के व्यय पर 360 डिग्री दृश्यता रिकॉर्डिंग के योग्य चार सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने सहित एक चेक पोस्ट/गेट का निर्माण किया जायेगा। उक्त चेक पोस्ट/गेट पर आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर भी रखेगा, जिससे सम्बन्धित खनन पट्टा क्षेत्र में परिवहन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक वाहन के सापेक्ष निर्गत किये गये प्रपत्र ई-एम0एम0 11 पर अंकित क्यू0आर0 कोड/बारकोड का डाटा पढ़ने और सुरक्षित रखने की सुविधा होगी और उसका समुचित रूप से रख-रखाव करेगा एवं सदैव उसे चालू रूप से अनुरक्षित रखेगा। उक्त सभी सी0सी0टी0वी0 कैमरे और आर0एफ0आई0डी0 स्कैनरों द्वारा की गयी समस्त रिकॉर्डिंग को कम से कम तीस दिन तक सुरक्षित रखेगा और नियम-67 के उपबन्धों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा रिकॉर्डिंग मांगे जाने पर समस्त रिकॉर्ड उपलब्ध करायेगा। उक्त का अनुपालन न करने की दशा में नियमावली, 2021 के नियम-60 के अन्तर्गत वह शास्ति का भागीदार होगा।
- 9- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक: 05.09.2018 के अनुपालन में पट्टा धारक द्वारा खनन क्षेत्र के निकासी स्थल पर तौल मशीन लगवा कर निदेशालय में स्थापित कमाण्ड सेन्टर में प्रयुक्त आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स युक्त सॉफ्टवेयर में इन्टीग्रेट करायेगा। इन्टीग्रेट में स्थित तौल मशीन में निम्न Features का होना आवश्यक है:-
 - (1) The Weigh bridge device should use the MQTT protocol to transmit data.
 - (2) The Weigh bridge device should transmit data over the internet to IOT infrastructure in cloud.
- 10- तीन मीटर अथवा जल स्तर, दोनों में से जो कम हो, से परे कोई खनन संक्रियायें नहीं की जायेगी।
- 11- जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित सुरक्षा क्षेत्र में खनन कार्य नहीं किया जायेगा।
- 12- नदी की जल धारा में सक्शन मशीन/लिफ्टर आदि द्वारा खनन कार्य नहीं किया जायेगा।



(3)


- 13- स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर जहाँ परिवहन हेतु प्रपत्र ई-एम0एम0 11 निर्गत किया जायेगा, वहाँ पर खनिजों का विक्रय मूल्य प्रदर्शित किया जायेगा।
- 14- नियमों व पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र, खनन योजना आदि की शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर परिहार धारक को अपना पक्ष रखने की युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा पट्टा समाप्त किया जा सकता है।
- 15- उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-68 के अधीन भूमि के स्वामियों को प्रतिकर पाने का अधिकार होगा, जो भू-स्वामियों एवं परिहार धारक के मध्य तय होगा।
- 16- राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा यदि नियमों/अधिनियमों में कोई संशोधन होता है अथवा कोई शर्त अथवा विधि प्रख्यापित की जाती है, तो वह परिहार धारक को मान्य होगी।
- 17- माननीय उच्च न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण अथवा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन किया जायेगा।


 अपर जिलाधिकारी (न्यायिक),
 झाँसी।

पत्रांक व तददिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
- 2- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, खनिज भवन, लखनऊ।
- 3- आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी।
- 4- जिलाधिकारी, झाँसी
- 5- प्रभागीय वनाधिकारी, झाँसी वन प्रभाग, झाँसी।
- 6- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी।
- 7- क्षेत्रीय अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0, क्षेत्रीय कार्यालय, झाँसी।
- 8- उप जिलाधिकारी, मोंठ, झाँसी।
- 9- सर्वोच्च ई-निविदाकार पी0एस0ए0 कांट्रेक्टर एल0एल0पी0 पार्टनर श्री पंकज सिंह पुत्र श्री किशन पाल सिंह निवासी-प्लॉट नं0-618 मॉडर्न अपार्टमेन्ट सेक्टर-15 वी0टी0सी0 रोहिनी, जिला उत्तर पश्चिम दिल्ली को अनुपालनार्थ प्रेषित।


 अपर जिलाधिकारी (न्यायिक),
 झाँसी।

रिपोर्ट थाना पूँछ जिला झाँसी

में,

श्रीमान अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) महोदय,
जनपद झाँसी ।

विषय- पत्रांक 1618/30एम0एम0सी0/2023-24 दिनांक 20.11.2023 में सन्दर्भित दिनांक 09.03.2023 को थाना पूँछ क्षेत्रान्तर्गत श्री सुरेन्द्र कुमार अहिरवार एवं श्री सुनील की हुई मृत्यु के सम्बन्ध में आख्या/वस्तुस्थिति उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में चाही गयी सूचना विषयक

महोदय,

कृपया आपके पत्रांक 1618/30एम0एम0सी0/2023-24 दिनांक 20.11.2023 में सन्दर्भित दिनांक 09.03.2023 को थाना पूँछ क्षेत्रान्तर्गत श्री सुरेन्द्र कुमार अहिरवार एवं श्री सुनील की हुई मृत्यु के सम्बन्ध में आख्या/वस्तुस्थिति उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि थाना स्थानीय के अभिलेखानुसार दिनांक 09.03.23 को थाना पूँछ क्षेत्रान्तर्गत एरच पुल के नीचे बेतवा नदी में 02 युवक 1.सुरेन्द्र कुमार अहिरवार पुत्र लक्ष्मीप्रसाद निवासी मो0 रामगंज कस्बा व थाना एरच जिला झाँसी उम्र 26 वर्ष 2.सुनील पुत्र राजेश अहिरवार निवासी कस्बा व थाना एरच जिला झाँसी उम्र 22 वर्ष जो कि बेतवा नदी में नहाने हेतु गये थे, समय दोपहर करीब 15.30 बजे नहाते हुये गहरे पानी में डूब गये थे जिसकी सूचना पर थाना स्थानीय व आस पास के थानो का पुलिस बल मौके पर पहुँचकर तथा गोताखोरो एवं SDRF टीम के सहयोग से नदी में डूबे दोनो युवको की तलाश बेतवा नदी में की गयी तथा दिनांक 11.03.2023 को नदी में डूबे दोनों व्यक्ति 1.सुरेन्द्र कुमार अहिरवार पुत्र लक्ष्मीप्रसाद निवासी मो0 रामगंज कस्बा व थाना एरच जिला झाँसी उम्र 26 वर्ष 2.सुनील पुत्र राजेश अहिरवार निवासी कस्बा व थाना एरच जिला झाँसी उम्र 22 वर्ष के शव मिले थे । मृतक गण उपरोक्त के शव की पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्यवाही करायी गयी थी । सुरेन्द्र कुमार अहिरवार व सुनील अहिरवार उपरोक्त नदी में नहाने हेतु गये थे नहाते समय बेतवा नदी में पानी अधिक होने के कारण नदी में गहरे पानी में डूबने के कारण दोनों की मृत्यु हो गयी थी ।

रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है ।

दिनांक 20.11.2023

(अरुण कुमार तिवारी)
अरुण कुमार तिवारी
थाना पूँछ
थाना पूँछ जिला झाँसी